23/10/18

छठ पर्व, 2018 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों की समीक्षा हेतु दिनांक– 15.10.2018 को 4:30 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।
जिला पदाधिकारी, पटना।
नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना।
प्रबंध निदेशक, बुडको।
मुख्य महाप्रबंधक, बुडको।
उप नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना।

छठ पर्व, 2018 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। छठ पर्व से संबंधित कार्य जिला जिला प्रशासन, पटना, नगर निगम, पटना एवं बुडको द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसके लिए विभाग द्वारा राशि भी आवंटित की जाती है। विदित हो कि बुडको द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 29 घाटों (जहाज घाट से लेकर मिश्री घाट तक) पर छठ पर्व से संबंधित विभिन्न कार्य कराया जाता है तथा पटना नगर निगम, पटना द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शेष सभी घाटों पर छठ पर्व से संबंधित विभिन्न कार्य कराया जाता है। जिला प्रशासन, पटना द्वारा सुरक्षा व्यवस्था यथा– बैरिकेटिंग, साईनेज, साउड सिस्टम, पार्किंग, अस्थायी जलापूर्ति व्यवस्था, सी०सी०टी०वी० कैमरा आदि से संबंधित कार्य कराया जाता है।

2. बैठक में छठ पर्व, 2018 के अवसर पर पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत बुडको द्वारा पूर्व से 29 घाटों पर कराये जा रहें विभिन्न कार्यों सहित सभी घाटों पर नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्य पटना नगर निगम द्वारा ही कराये जाने का अनुरोध नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा किया गया। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना से पृच्छा की गई कि क्या पटना नगर निगम, पटना पूर्व से किये जा रहे कार्यों के अतिरिक्त बुडको द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भी ससमय सम्पादित करने में करने में सक्षम है ? इस बिन्दू पर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा आश्वस्त किया गया कि नगर निगम, पटना उक्त सभी कार्य ससमय पूर्ण करने में सक्षम है, जिसके लिए पूर्व तैयारियाँ भी कर ली गई है, जिसके अंतर्गत कुल 86 घाटों पर विभिन्न कार्य कराने हेतु निविदा भी प्रकाशित की जा चुकी है।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा बताया गया कि घाटों पर मिट्टी भराई, समतलीकरण, नाला से संबंधित कार्य आदि दिनांक– 02.11.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बालू भराई का कार्य दिनांक– 05.11.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बैरिकेटिंग का कार्य दिनांक– 09.11.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा तथा लाईटिंग से संबंधित कार्य दिनांक– 10.11.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4. छठ पर्व, 2016 एवं 2017 के अवसर पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित पीपा पुल के लिए राशि आवंटित करने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा किया गया। उक्त के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, पटना को सूचित किया गया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को

पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण्प–पत्र विभाग में समर्पित नहीं किये जाने के कारण उक्त कार्य हेतु विभाग स्तर से राशि आवंटित नहीं की गई है, जिसकी सूचना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को भी दी गई है।

5. बैठक में छठ पर्व, 2018 के अवसर पर पटना नगर निगम, पटना द्वारा कराये जा रहे कार्यों का Supervision करने तथा आवश्यकतानुसार अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति पटना नगर निगम, पटना में करने का निदेश प्रबंध निदेशक, बुडको को दिया गया।

6. छठ पर्व के अवसर पर पटना रिभर फ्रंट अंतर्गत निर्मित घाटों पर अधिष्ठापित हाई मास्ट लाईट को क्रियाशील करने का निदेश प्रबंध निदेशक, बुडको को दिया गया।

7. बैठक में छठ पर्व, 2018 के अवसर पर चेंजिंग रूम के निर्माण हेतु अपारदर्शी तथा एक ही रंग के कपड़े का इस्तेमाल करने का निदेश दिया गया ताकि घाटों की खूबसुरती तथा एकरूपता बनी रहे।

8. बैठक में छठ पर्व, 2018 के अवसर पर आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु लाईटिंग तथा पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी करने का निदेश दिया गया।

9. सफाई व्यवस्था उच्च कोटि का रखने का निदेश देते हुए पूर्व में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित करने के उपरांत ही राशि की अधियाचना करने का निदेश देते हुए सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

22/10/2018

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/बैठक–04–02/2017 5487 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 23/10/18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/10/2018

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/बैठक–04–02/2017 5487 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 23/10/18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/10/2018

सरकार के प्रधान सचिव।